प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 496 / 2023

अनवान : –

1. विक्रम सिह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. पृथ्वी सिंह पुत्र पदम सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान</u>

<u>काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

<u>निर्णय</u> दिनांक: **17.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा धानसिया के खाता स0 790 / 772 की कुल 17.6467 हैक्ट भूमि में से 151167 / 17646 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पदमसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया की वाद वादी [illegible] बाबत अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। वादी ने [illegible] नयी व पुरानी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 [illegible] राजीनामा पेश किया [illegible] कि उक्त वाद रोही मौजा धानसिया के खाता स0 790 / 772 की कुल 17.6467 हैक्ट भूमि में से 151167 / 17646 हिस्सा यानि की 15.1167 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है का बाहमी बंटवारा वादी एवं

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी स0 1 ने कर लिया है मुताबिक बंटवारा उक्त वाद भूमि मे से 10.120 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 के पास रहेगी एवं 4.9967 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के पास

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 बहिब काबिज है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता स0 790/772 की कुल 17.6467 हैक्ट भूमि में से 151167/17646 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के द्वारा राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 के राजीनामा तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता स0 790/772 की कुल 17.6467 हैक्ट भूमि में से 151167/17646 हिस्सा भूमि यानि 15.1167 है प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 10.120 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 4.9967 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 यथावत खातेदार काश्तकार रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:57 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दलपतपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 496 / 2023

अनवान : –

1. विक्रम सिह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. पृथ्वी सिंह पुत्र पदम सिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 496 सन 2023 निर्णय दिनांक 17.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता स0 790 / 772 की कुल 17.6467 हैक्ट भूमि में से 151167 / 17646 हिस्सा भूमि यानि 15.1167 है प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 10.120 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 4.9967 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 यथावत खातेदार काश्तकार रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दपलपतपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:57 IST
Reason: SelfAttested